न्यायालय उप जिलाधिकारी, मथुरा

वाद संख्या– [illegible]/2011–2012

बनाम सरकार

धारा 143 [illegible]

मौजा भदार

रमेश चंद/भवर सिंह भदार तहसील व जिला मथुरा मौजा पालीडूंगरा

[illegible] आदेश

रमेश चंद/भवर सिंह भदार तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र 7.12.2011 [illegible] भदार तहसील व जिला मथुरा के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक–7.12.2011 में अंकित किया गया है कि वे मौजा पालीडूंगरा तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 325मि. रकबा 0.213हे. भूराजस्व 3.90रुपये व प्रार्थना–पत्र दिनांक 7.12.2011 में अंकित किया गया है कि मौजा भदार तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या [illegible] 348मि रकबा 0.16125 हे. भूराजस्व 2.60 रुपये के संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। [illegible] कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन व कुक्कुटपालन आदि के उपयोग में नहीं लाई जा रही है। [illegible] घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है। उनके द्वारा अपने कथन की पुष्टि में [illegible] प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार, मथुरा द्वारा संस्तुति आख्या दिनांक–15.12.2011 प्रस्तुत की गई है [illegible] किया गया है कि मौजा पालीखेड़ा तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता [illegible] रकबा 1.214 हे. भूराजस्व 20.00 रुपये व मौजा भदार तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या [illegible] खसरा संख्या 348मि रकबा 0.16125 हे. भूराजस्व 2.60 रुपये की रमेश चंद/भवर सिंह भदार तहसील व जिला मथुरा [illegible] भदार तहसील व निवासी भदार तहसील व जिला मथुरा संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात हैं। [illegible] भूमि कृषि, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि कृषि के प्रयोजन में नहीं लाई जा रही है। [illegible] आवास विकास/विकास प्राधिकरण एवं अन्य किसी सरकारी, अर्द्ध सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि के अन्तर्गत गांव सभा की भूमि चकरोड व धारा 132 की भूमि सम्मिलित नहीं है। [illegible] द्वारा प्रस्तावित भूमि को धारा 143 ज०वि०एवं भू०व्य०अ० के अन्तर्गत आबादी घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। सी०एच० 41 व 45 की प्रमाणित प्रति दाखिल की गई है।

तहसीलदार, मथुरा की संस्तुति आख्या दिनांक–15.12.2011 के आधार पर मौजा पालीडूंगरा तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या– मि. रकबा 0.213हे. भूराजस्व 3.90रुपये व मौजा भदार तहसील व जिला मथुरा की भूमि खाता संख्या 325 खसरा संख्या 348मि. रकबा 0.16125 हे. भूराजस्व 2.60 रुपये को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ गैर कृषिक प्रयोजन हेतु उद्घोषित किया जाता है कि यह उद्घोषणा उक्त भूमि के कृषिक उपयोग में लाये जाने पर तथा मथुरा–वृन्दावन विकास प्राधिकरण के प्रचलित नियमों/निर्देशों एवं अन्य किसी विधिक प्राविधानों के उल्लंघन की स्थिति में स्वतः निरस्त मानी जायेगी। तहसीलदार, मथुरा की उक्त संस्तुति आख्या आदेश का भाग रहेगी। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, मथुरा को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि यदि उक्त भूमि भविष्य में कृषि कार्य के प्रयोग में लायी जाती है तो तत्काल आख्या प्रस्तुत करें। तहसीलदार की आख्या तथा आदेश की एक प्रति उप निबन्धक, मथुरा को अभिलेखों में पंजीकृत करने हेतु तथा एक प्रति सचिव, मथुरा वृन्दावन विकास प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। उक्त आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक

यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(अमर पाल सिंह)
उप जिलाधिकारी, मथुरा

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

[illegible] उपजिलाधिकारी
मथुरा